किसान यूनियनके कार्यालयमें घुसकर २.७० लाख लूटे, मांगी रंगदारी

गोली मारनेकी धमकी, विरोधपर कार्यकर्ताओंसे मारपीट, वीडियो वायरल

एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश कार्यालय में घुसकर मारपीट, लूटपाट और रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पिस्टल लेकर पहुंचे आरोपित ने कार्यालय प्रभारी के सिर पर असलहा दिखाकर २.७० लाख रुपये लूटने का आरोप है, साथ ही पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो भी सोशलमीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गोंडा जिले के इटियाथोक क्षेत्र के जगन्नाथीपुर निवासी सौरभ उपाध्याय भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश कार्यालय प्रभारी हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार की शाम वह कार्यालय में मौजूद थे। इस दौरान संघटन के कई महिला और पुरुष कार्यकर्ता भी वहां थे। आरोप है कि तभी संजय यादव पिस्टल लहराते हुए कार्यालय में घुस आया। उसने धमकाते हुए कहा कि अपने नेता से पांच लाख रुपये मंगवा लो, नहीं तो गोली मार देंगे। इसके बाद वह १० मिनट में लौटने की बात कहकर चला गया। आरोप है कि कुछ देर बाद संजय अपने भाई सत्येंद्र यादव, बेटे कुंवर सिंह और अन्य लोगों के साथ पहुंचा। सभी ने बंद शटर तोड़कर कार्यालय में प्रवेश किया और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट की। इसमें कई लोगों को चोटें आईं। सौरभ का आरोप है कि संजय ने उनके सिर पर पिस्टल अड़ाकर संगठन के कार्यक्रम के लिए जुटाए गए २.७० लाख रुपये छीन लिए। जाते समय आरोपितों ने संघटन के नेता और उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी। एयरपोर्ट थाना प्रभारी वैभव सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

जोन एकमें दो अवैध निर्माण सील

पीडीए के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बुधवार को जोन-१ क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरूद्ध सीलबन्दी की काररवाई की गयी। जोनल अधिकारी के अनुसार ड्रमंड रोड सिविल लाइंस में श्रीमती सुमन देवी एवं अशोकनगर में श्रीमती रचना सिंह द्वारा किये गये अवैध निर्माण को सील किया गया। जोनल अधिकारी के मुताबिक प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण या अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ काररवाई जारी रहेगी। इसलिए ऐसे लोगों को को निर्देशित किया जाता है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तलपट मानचित्र स्वीकृत कराकर ही विकास कार्य कराया जाय एवं इसके साथ अन्य लोग भी किसी भी अवैध प्लाटिंग, बाढ़ क्षेत्र में भूखण्डों का क्रय विक्रय न करें। काररवाई में अवर अभियन्ता, सुपरवाईजर एवं पीडीए टीम सहित अन्य मौजूद रहे।

प्रयागराज में जलभराव पर हाई कोर्ट सख्त, जारी किए कड़े निर्देश

५० साल तक बाढ़ न आए, ऐसा बनेगा ड्रेनेज मास्टर प्लान, एमएलएनएनआईटी के प्रोफेसर देंगे तकनीकी मदद, वित्त विभाग तीन हफ्ते में दें योजना की मंजूरी

(विधि संवाददाता)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज शहर में जलभराव की समस्या पर कहा कि जो भी ड्रेनेज प्रोजेक्ट बन रहा है, वह ऐसा हो कि अगले ५० साल तक शहर में बारिश से बाढ़ के हालात न बनें। इसके लिए एम एल एन एन आई टी प्रयागराज के पर्यावरण और सिविल इंजीनियरिंग के ४ प्रोफेसर नगर निगम की फ्री में मदद करेंगे।न्यायमूर्ति अजित कुमार तथा न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। नगर आयुक्त प्रयागराज शीलम साई तेजा कोर्ट में हाजिर हुए और चल रहे व प्रस्तावित प्रोजेक्ट का मैप पेश किया। प्रयागराज में हल्की बारिश के बाद जल भराव के बाद २०.दिसंबर २०२४ के शासनादेश के तहत ड्रेनेज मास्टर प्लान न बनने और शहर में जलभराव को लेकर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। नगर आयुक्त ने बताया कि६ अक्टूबर २०२६ को शासनादेश से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, लेकिन वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति अभी लंबित है। टेंडर प्रक्रिया में कम से कम ४० दिन लगेंगे। पेश किए गए मैप में लाल, पीले, हरे रंग से नालों को दिखाया गया है। मौजूदा नालों के अपग्रेडेशन, समानांतर नए नालों और मोरी गेट पर पंपिंग स्टेशन के अपग्रेडेशन का प्रस्ताव है, ताकि गंगा-यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने पर भी शहर जल भराव से बचा रहे। आशंका जताई गई कि क्या नालों की क्षमता इतनी है कि भारी बारिश का पूरा पानी ले जा सके? शहर की टोपोग्राफी और पानी के वॉल्यूम की स्टडी क्या हुई है कोर्ट ने कहा इसके लिए एम एल एन एन आई टी के पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसरों की मदद ली जाए। वकीलों ने बताया- स्थानीय लोगों ने कई जगह नालों को ऊपर से आर सी सी सूैब डालकर नाला ढक दिया है, इतने बड़े सूैब हैं कि उठाए भी नहीं जा सकते, इससे नाले का फ्लो रुक गया है। नगर निगम के वकील ने कहा - यह अतिक्रमण है, अवैध है, किसी को अनुमति नहीं दी गयी। कोर्ट ने चार बिंदु तये किये जिनमें प्रोजेक्ट की ५० साल तक की प्रभावशीलता, तकनीकी मदद की जरूरत, लो-लाइंग एरिया में कैचमेंट एरिया के लिए जमीन और सीवर लाइनों की नियमित सफाई त्तय की। कोर्ट ने वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि ६ अक्टूबर २०२६ के शासनादेश से स्वीकृत प्रोजेक्ट को ३ हफ्ते में वित्तीय स्वीकृति दे और अनुपालन हलफनामा दाखिल करे, नहीं तो प्रमुख सचिव वित्त अगली तारीख पर कोर्ट में हाजिर रहें।

कोर्ट ने कहा नगर निगम कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज यूपी जल निगम (अर्बन) को तुरंत टेंडर नोटिस जारी करने का निर्देश दे, ताकि वित्त स्वीकृति मिलते ही ४० दिन के भीतर टेंडर फाइनल हो जाए। एम एन एन आई टी प्रयागराज को निर्देश दिया कि पर्यावरण एवं टेक्नोलॉजी विभाग से २ प्रोफेसर और सिविल इंजीनियरिंग विभाग से दो प्रोफेसर तुरंत नगर निगम को दें। वह प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, शुरू होते समय और जमीन पर चलते समय फ्री सलाह देंगे, ताकि नालों की क्षमता ५० साल के हिसाब से बढ़ाई जा सके और जहां नाले जुड़ते हैं, वहां बड़ा गड्ढा खोदा जाए ताकि ओवरफ्लो न हो। कोर्ट ने कहा जवाहर लाल नेहरू रोड और महात्मा गांधी मार्ग समेत कहीं भी नालों पर बने स्थायी पेवमेंट/गेट/दीवार/निर्माण तुरंत हटाए जाएं। सिर्फ गेट तक जाने के लिए एंट्री का पेवमेंट रखा जा सकता है। निवासियों को नालों के किनारे बाउंड्री वॉल बनानी होगी ताकि नगर निगम को नाले तक आसानी से पहुंच मिले। गंगा प्रदूषण बोर्ड (जल निगम ग्रामीण के माध्यम से) हर ६ महीने में सीवर लाइनों की सफाई/सिल्ट हटाने का काम करेगा, और हर साल बरसात से पहले एक बार जरूर सफाई की जाय। कोर्ट को बताया गया कि जॉर्ज टाउन क्लब की जमीन और सी एम पी डिग्री कॉलेज के सामने के पी ट्रस्ट की निजी जमीन पर कैचमेंट एरिया बन सकता है, जिससे लिडल रोड और सी वाई चिंतामणि रोड का जलभराव रुकेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह वहां पंपिंग स्टेशन और वाटर कैचमेंट टैंक के लिए जगह चिन्हित करे और के पी ट्रस्ट की जमीन को चिन्हित करे ताकि सोसाइटी लीज न दे तो ९० साल के लिए लीज पर अधिग्रहण किया जा सके। इस पर रिपोर्ट अगली तारीख पर दी जाए।

सभी अनुपालन हलफनामे अगली सुनवाई की तिथि १६ नवंबर २०२६ तक दाखिल होंगे। कोर्ट ने प्रमुख सचिव (वित्त) और गंगा प्रदूषण बोर्ड के माध्यम से यूपी जल निगम (ग्रामीण) को पक्षकार बनाया।

दशाश्वमेध घाटपर चला सफाई अभियान



मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के निर्देश पर बुधवार को टीम ने दशाश्वमेध घाट सहित संगम नोज के घाटों पर सफाई अभियान चलाया। इन घाटों पर रोजाना बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं का आगमन होता है। साथ ही अब माघ मेला की तैयारी भी शुरू हो गयी है।

इधर गंगा नदी में आयी बाढ़ का जलस्तर घटने के बाद घाटों की सीढ़ियों पर जमा हुई गाद और मलबे को हटाया जा रहा है। इस मौके पर मेला प्राधिकरण के एसडीएम विवेक शुक्ला, स्वच्छता प्रभारी आनंद सिंह, प्रभारी निरीक्षक सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

ई-टिकटोंके अवैध कारोबारके खिलाफ आरपीएफ की कारवाई

१७ व्यक्ति गिरफ्तार, २.५४ लाखसे अधिक मूल्य के ६९ ई-टिकट बरामद

वास्तविक यात्रियों को रेल आरक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ई-टिकटों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज रजनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन में एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, दीपक कुमार आज़ाद के नेतृत्व में 'ऑपरेशन उपलब्ध' के अंतर्गत अवैध रूप से ई-टिकटों का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष २०२६ में जनवरी से सितंबर तक प्रयागराज मंडल में ई-टिकटों के अवैध कारोबार से संबंधित कुल १२ मामले पंजीकृत किए गए तथा १७ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कार्रवाई करते हुए २,५४,८४३.३० मूल्य के कुल ६९ ई-टिकट बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त, अवैध गतिविधियों में प्रयुक्त १८ व्यक्तिगत यूजर आईडी तथा एक एजेंट आईडी को ब्लॉक कराया गया। सितंबर माहम में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर ३९,३९९.३० मूल्य के २३ ई-टिकट बरामद किए गए। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा व्यक्तिगत यूजर आईडी के दुरुपयोग, अनधिकृत रूप से टिकट बनाने तथा ई-टिकटों की कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य आरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना और वास्तविक यात्रियों को टिकट प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध कराना है।

सफाई मित्रोंके लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शिविर आयोजित

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल द्वारा स्पेशल कैंपेन ६.० के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प्रयागराज डॉ. सुरेन्द्र नाथ के मार्गदर्शन में केंद्रीय चिकित्सालय के सभागार में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल ५३ सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर के दौरान सभी संविदा सफाईकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही उन्हें संक्रमण से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित तरीके से कार्य करने के संबंध में जागरूक किया गया।

विंध्याचल स्टेशनपर अस्थायी ठहराव निरस्त

रेल प्रशासन द्वारा गाड़ियों का विंध्याचल स्टेशन पर अस्थायी ठहराव परिचालन के कारण से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या १५६५८ कामाख्या-दिल्ली विशेष/ एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या १५९४५ लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या १५९४६ डिब्रूगढ़-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या १५६४७ लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या १५६४८ गुवाहाटी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस-२३ से २६ अक्तूबर तक विंध्याचल स्टेशन पर अस्थायी ठहराव निरस्त रहेगा।

काल्विन में डीएनबी कोर्स एवं आयुष्मान वार्ड शुरू



काल्विन अस्पताल में डीएनबी कोर्स एवं आर्थोपेडिक (हड्डी) आयुष्मान वार्ड का उद्घाटन अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डा. आरएस दुबे ने किया। इस मौके पर प्रमुख अधीक्षक ने कहा कि डीएनबी कोर्स के शुभांरभ से अस्पताल में चिकित्सा शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। इसके साथ ही नए हड्डी आयुष्मान वार्ड की शुरूआत होने से हड्डी एवं जोड़ संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अब पहले से बेहतर एवं आधुनिक उचचार मिल सकेगा। इस वार्ड के जरिए आयुष्मान योजना के पात्र मरीजों को पूरी तरह निशुल्क एवं उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इस मौके पर प्रमुख रूप से डा. केके पाण्डेय, डा. सुरेश मौर्य, डा. महानंद, डा. रामचंद्र, डा. माया देवी सहित अन्य डाक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।

एसआएन अस्पतालके डाक्टरों की जीपीएस एवं रजिस्टर से हाजिरी अनिवार्य

मंडलायुक्त ने दिए अस्पतालकी व्यवस्था सुधारनेका कड़ा निर्देश, २४ घंटे तैनात रहेंगे वालिंटयर्स

एसआरएन अस्पताल में मरीजों को बाहर से दवाएं एवं जांच कराने के लिए भेजने, जरूरी चिकित्सा सामाग्री की कमी एवं अव्यवस्थाओं पर मंडलायुक्त डा. लोकेश एम ने कड़ी नाराजगी जातायी। अस्पताल के इमरजेंसी एवं अन्य वार्ड का पूर्व में (आठ सितंबर) को औचक निरीक्षण में मिली कमियों को लेकर बुधवार को समीक्षा बैठक की। मेडिकल कालेज के प्राचार्य, उप प्राचार्य, एडी हेल्थ, सीएमओ, सीएमएस एवं सहायक सीएमएस एवं वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ हुयी इस बैठक में अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं में सुधार एवं मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध पर चर्चा की। मंडलायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए डाक्टरों, रेजिडेंट डाक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जीपीएस आधारित उपस्थिति के साथ भौतिक रजिस्टर भी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए। सभी डाक्टरों को निर्धारित एप्रन में रहने एवं उनके लाकर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। अस्पताल में तीन शिफ्टों में चौबिस घंटे दो से तीन वालिंटियर्स की तैनाती कर मरीजों एवं तीमारदारों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए सहायक सीएमएस डा. जितेंद्र शुक्ला को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें एक सप्ताह में रिसेप्शन व्यवस्था सुधारने का निर्देश, कारिडोर में पर्याप्त प्रकाश, वेंटिलेशन एवं पंखों की व्यवस्था के लिए प्राचार्य को एक माह की समय-सीमा दी गई है। दो कारिडोर में एक सप्ताह के भीतर कार्य पूर्ण कराकर मंडलायुक्त को प्रदर्शन के रूप में दिखाया जाएगा। ओपीडी एवं वार्डो में पुरानी एवं जंग लगी एग्जामिनेशन टेबल, खराब वाशबेसिन एवं अन्य कमियों को दूर करने एवं सुधारात्मक कार्यो की पूर्व एवं पश्चात की तस्वीरें दस दिनों के भीतर उपलब्ध कराने और मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने एवं निजी केंद्रों से जांच कराने के लिए भेजे जाने की कई शिकायतों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यवस्था पूरी तरह सुधारने का कड़ा निर्देश दिये।

१७ साल बाद शुरू हुआ एसआरएन में हृदय रोग आईसीयू का विस्तार

क्षमता बढ़कर होगी दोगुनी, मरीजोंको नहीं करना होगा बेडका इंतजार

स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में हृदय रोग विभाग के आईसीयू विस्तार का काम करीब १७ साल के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुआ है। शासन की ओर से बजट जारी होने के बावजूद यह निर्माण कार्य वर्षों तक अधर में लटका रहा, लेकिन हाइकोर्ट की सख्ती के बाद अब इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू चुका है। परियोजना के तहत अस्पताल की दूसरी मंजिल पर २० अतिरिक्त बेड एवं ओपीडी कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही मरीजों की सहूलियत के लिए रैंप एवं लिफ्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में हृदय रोग विभाग के आईसीयू में केवल १९ बेड उपलब्ध हैं। हृदय रोगियों की संख्या और जरूरत के मुकाबले बेड कम होने के कारण मरीजों को भर्ती होने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में २० अतिरिक्त बेड की सुविधा शुरू होने से आईसीयू की क्षमता बढ़कर ३९ बेड हो जायेगी। इससे गंभीर हृदय रोगियों को भर्ती करने एवं उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

आगामी कोहरेके मद्देनजर निरस्त रहेंगी गाड़ियां

रेल प्रशासन द्वारा आगामी कोहरे के मौसम में परिचालनिक कारणों से निम्न गाड़ियों का निरस्तीकरण, आवृत्ति में कमी तथा आंशिक निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया है। गाड़ियों का निरस्तीकरण गाड़ी संख्या १२२०९ कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या १२२१० काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या १२५९५ गोरखपुर-आनंद विहार ट. एक्सप्रेस(सप्ताह में ०३ दिन) दिनांक १५ दिसंबर २०२६ से १४ फरवरी २०२७ तक निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या १२५९६ आनंद विहार ट.-गोरखपुर एक्सप्रेस(सप्ताह में ३ दिन) दिनांक १६ दिसंबर २०२६ से १५ फरवरी २०२७तक निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या २२८५७ संतरागाछी-आनंद विहार ट. एक्सप्रेस (साप्ताहिक), गाड़ी संख्या २२८५८ आनंद विहार ट.-संतरागाछी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) निरस्त रहेगी। , गाड़ी संख्या २२४०५ भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या १२५७१ गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या १२५७२ आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

युवक की गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को ६ साल की कारावास

(विधि संवाददाता)

तालाब में लकड़ी काटने के विवाद में मारपीट के दौरान घायल युवक की इलाज के दौरान मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दिवाकर द्विवेदी की अदालत ने अभियुक्त बचनी उर्फ बच्चन मंगता को छह साल के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने अभियुक्त पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने यह आदेश अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता त्रियुगी नारायण दीक्षित एवं अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर दिया। अभियोजन मामले के अनुसार २७ नवंबर २०२० को सरायममरेज थाना क्षेत्र के कटेहरी गांव में तालाब में लकड़ी काटने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान बचनी उर्फ बच्चन मंगता और एक अज्ञात व्यक्ति ने शिवचरन भारतीय के बेटे धर्मेंद्र को लाठी-डंडों से पीट दिया था। मारपीट में धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वादी शिवचरन, निर्मला देवी, जयशंकर पांडेय समेत सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। अभियुक्त ने पहले मुकदमे को रंजिश के कारण दर्ज कराया जाना बताया, लेकिन बाद में जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा ३२३, ५०४, ५०६ और ३०४ भाग-दो के तहत दोषी पाया।

मांगोंको लेकर नर्सोंने किया कार्य बहिष्कार, मरीज परेशान

एसआरएन अस्पतालमें आपातकालीन छोड़कर अन्य सेवाएं रही ठप



राजकीय नर्सेस संघ के आवाहन पर बुधवार को एसआरएन अस्पताल में नर्सों ने अपनी १३ सूत्रीय मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार कर दिया।दो घंटे से अधिक समय तक हड़ताल के चलते मरीज परेशान रहे। इस सांकेतिक हड़ताल में लगभग ५४२ नर्सें शामिल रहीं। नर्सों ने अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के सामने एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद नर्सों ने मांगों को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डा. नीलम सिंह को ज्ञापन सौंपा। हड़ताल में शामिल नर्सों का कहना है कि जब तक शासन की ओर से उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के चलते इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अन्य सेवाएं बाधित रही। वार्ड में नर्सों के न रहने के कारण भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। १३ सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से समान कार्य समान भत्ते, गृह जनपद में तैनाती, पदों का पुनर्गठन, पुरानी पेंशन की बहाली, बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी किया जाने की मांग शामिल है।

प्रयागराजके लिए पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनका होगा संचालन

रेल प्रशासन द्वारा आगामी पूजा पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी सुविधा हेतु ङखुर्दा रोड से प्रयागराज के लिए वन वे पूजा विशेष एक्सप्रेसङ ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या ०८४२५ (खुर्दा रोड-प्रयागराज) पूजा स्पेशल एक्सप्रेस दिनांक २२ अक्टूबर २०२६ (गुरुवार) को खुर्दा रोड स्टेशन से दोपहर १२.५५ बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन प्रातः १०.३० बजे प्रयागराज पहुंचेगी। कुल २० कोचों वाली इस विशेष ट्रेन में १० स्लीपर, १ सामान्य चेयर कार, ७ सामान्य श्रेणी तथा २ एसएलआरडी डिब्बे शामिल रहेंगे। यह विशेष ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर आगमन/प्रस्थान समय के अनुसार ठहरेगा

अनारक्षित मेला विशेष ट्रेनका रहेगा निरस्तीकरण

रेल प्रशासन द्वारा परिचालनिक कारणों से गाड़ियों का निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या ०४१२९/०४१३० मिर्जापुर-उतरेटिया-मिर्जापुर अनारक्षित मेला विशेष, गाड़ी संख्या ०४१२९ मिर्जापुर-उतरेटिया मेला विशेष:मिर्जापुर से तत्काल प्रभाव से २६ अक्टूबर २०२६ तक। गाड़ी संख्या ०४१३० उतरेटिया-मिर्जापुर मेला विशेष:उतरेटिया से २२ अक्टूबर से २७ अक्टूबर २०२६ तक। गाड़ी संख्या ०४१८२/०४१८१ प्रयागराज जं.-पटना-प्रयागराज जं. अनारक्षित मेला विशेष-गाड़ी संख्या ०४१८२ प्रयागराज जंक्शन-पटना मेला विशेष:प्रयागराज जंक्शन से तत्काल प्रभाव से २६ अक्टूबर २०२६ तक। गाड़ी संख्या ०४१८१ पटना-प्रयागराज जंक्शन मेला विशेष:पटना से तत्काल प्रभाव से २६ अक्टूबर २०२६ तक।

पूर्णतः फिट और सुरक्षित बसोंको ही रोडवेज चलायेगा

क्षेत्रीय प्रबंधकने एआरएम, डिपों इंचार्जको दिये विशेष दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा २६ की तैयारियों को अन्तिम रुप दिया जा रहा है। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रयागराज क्षेत्र द्वारा विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा के दौरान बसों के सुचारू संचालन और अभ्यर्थियों एवं आम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रोडवेज प्रशासन ने रूपरेखा तैयार कर ली है। आयोग द्वारा यह परीक्षा प्रदेश के ६० जनपदों में तीन तिथियों २५, ३० अक्टूबर एवं ०१ नवंबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली प्रात १० बजे से दोपहर १२ बजे तक होगी। द्वितीय पाली अपराह्न ०३ बजे से सायं ०५ बजे तक होगी जिसमें लगभग ३५.४१ लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक रवीन्द्र कुमार सिंह के अनुसार, इस परीक्षा में लगभग ३५,४१,२९७ परीक्षार्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। चूंकि कई अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद से अलग परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, इसलिए परीक्षा से एक दिन पूर्व और परीक्षा की समाप्ति के बाद बस स्टेशनोंपर भारी भीड़की संभावना है।

प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी एवं मिर्जापुरमें विशेष प्रबंध

प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपदो प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी एवं मिर्जापुर में यात्रियों एवं परीक्षार्थियों के सुरक्षित, सुचारू और समयबद्ध आवागमन के लिए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए है। नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, डिपो प्रभारी अपने निर्धारित जनपद व डिपो में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वह चालकों-परिचालकों की तैनाती, बसों की उपलब्धता और स्थानीय प्रशासन से समन्वय के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। बस स्टेशनों से परीक्षा केंद्रों और प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की संभावित मांग का आकलन कर समय-सारणी निर्धारित की जाएगी।
आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मार्गो की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षा अवधि के दौरान डिपो की शत-प्रतिशत बसें सड़कों पर उपलब्ध रहेंगी। परीक्षा के लिए निर्धारित सभी विशेष बसों का संचालन पूरी तरह से समयबद्ध और निर्बाध रूप से कराया जाएगा। केवल वही बसें सड़कों पर चलाई जाएंगी जो पूर्णतः फिट और सुरक्षित होंगी। इसके लिए बसों का पूर्व तकनीकी परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

परिवहन मेलामें होगा वाहन स्वामियोंकी समस्याओंका समाधान

आरटीओ कार्यालयपर कल लगेगा परिवहन मेला

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए २३ अक्टूबर को परिवहन मेला का आयोजन कर रहा है। परिवहन मेला का मुख्य उद्देश्य वाहन संबंधी विभिन्न कार्यो, सेवाओं की जानकारी और बकाया टैक्स का समाधान एक ही छत के नीचे सुलभ कराना है, जिससे आम जनता के समय की बचत हो सके। सम्भागीय परिवहन अधिकारी हिमेश तिवारी के अनुसार मेले में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का नवीनीकरण (रिन्यूअल) और स्वामित्व स्थानांतरण (ट्रांसफर) आदि कार्यो को सुलभ तरीके से संपन्न कराया जा सकेगा।
वाहन फिटनेस से जुड़ी जानकारी, नए परमिट व परमिट नवीनीकरण में सहायता और स्क्रैपेज प्रक्रिया संबंधी जानकारी दी जायेगी। डीएल संबंधी सहायता, चालान व अन्य प्रकरणों में मार्गदर्शन, दस्तावेज सत्यापन और आनलाइन पोर्टल से जुड़ी जानकारी, लंबित वाहन कर की जानकारी, बकाया वसूली के लिए अलग काउंटर तथा नकद व डिजिटल भुगतान दोनों की सुविधा उपलब्ध होगी। परिवहन विभाग ने बकाये वाले वाहन स्वामियों की सूची तैयार कर उन्हें मेले में आने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे उनकी समस्या का समाधान निकाला जा सके। नियमों के तहत पेनल्टी में मिलने वाली संभावित छूट का लाभ भी पात्रता के अनुसार दिया जाएगा परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि मेले में जाने से पहले अपने वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट और बकाया टैक्स से जुड़े सभी मूल दस्तावेज साथ रखें।

पटना एवं नयी दिल्लीके बीच बंद स्पेशल ट्रेनके संचालनका निर्णय

आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इस हेतु रेलवे द्वारा पटना और नई दिल्ली के बीचवंदे भारत आरक्षित त्योहार स्पेशल ट्रेन (०२२५३/०२२५४)के संचालन का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या ०२२५३ पटना से प्रत्येक शनिवार, सोमवार एवं बुधवार को दिनांक २४ अक्टूबर से २८ नवंबर २०२६ तक कुल १६ फेरों के लिए संचालित होगी। गाड़ी संख्या ०२२५४ नई दिल्ली से प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को दिनांक २२ अक्टूबर से २६ नवंबर २०२६ तक कुल १६ फेरों के लिए संचालित होगी। गाड़ी संख्या ०२२५४ नई दिल्ली-पटनाआरक्षित वंदे भारत विशेष एक्सप्रेस-ङ यह ट्रेन नई दिल्ली से ०८:३५ बजे प्रस्थान करेगी।

किसानोंको मिलेंगे कम लागतमें उच्च गुणवत्ता वाले बीज

केन्द्र एवं राज्य सरकारके अनुदानसे मिलेगा सस्ती दरोंपर बीज

किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बीज अनुदान योजना (राज्य सेक्टर) संचालित की जा रही है। सरकार की इस पहल से किसानों को कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त होंगे, जिससे फसलों की पैदावार में सुधार होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। कृषि विभाग ने पात्र किसानों से अपनी नजदीकी कृषि सेवा केंद्रों के माध्यम से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम २ हेक्टेयर की सीमा तक बीजों की खरीद पर सीधा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह सब्सिडी राशि किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। इस योजना में धान और गेहूं के प्रमाणित बीजों पर जिलें में अनुदान दिया जा रहा है। यह छूट १० वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों पर मिलेगी। केंद्रीय अनुदान रु २,००० प्रति कुंतल तथा राज्य सरकार द्वारा देय विशेष अनुदान रु ६०० प्रति कुंतल दी जा रही है। जबकि १० वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियों पर केंद्रीय अनुदान रु १,००० प्रति कुंतल तथा राज्य सरकार द्वारा देय विशेष अनुदान रु ३०० प्रति कुंतल मिल रही है।

जौ के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए जिलों के अनुसार अलग-अलग व्यवस्था की गई है। जिसमें एनएफएसएम के तहत १९ जिलों को आच्छादित किया गया है। १० वर्ष से कम अवधि की प्रजाति पर रु ३,००० प्रति कुंतल केंद्रीय अनुदान मिलेगा। १० वर्ष से अधिक अवधि की प्रजाति पर रु १,५०० प्रति कुंतल केंद्रीय अनुदान दिया जायेगा। एनएफएसएम से अनाच्छादित ५६ जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। १० वर्ष से कम अवधि की प्रजाति पर रु ३,००० प्रति कुंतल राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान दिया जायेगा। १० वर्ष से अधिक अवधि की प्रजाति पर रु १,५०० प्रति कुंतल राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान भी मिलेगा।

आरपीएफ के शहीद जवानोंकी यादमें 'शहीद परेड'



रेलवे सुरक्षा बल/उत्तर मध्य रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा बल/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, सूबेदारगंज, प्रयागराज में वर्ष २०२५-२६ के दौरान ड्यूटी निर्वहन के समय शहीद हुए बल सदस्यों की स्मृति में 'शहीद परेड' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त उत्तर मध्य रेलवे ने शहीद बल सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में आशीष कुमार मुख्य सुरक्षा आयुक्त उत्तर मध्य रेलवे एवं दीपक कुमार आजाद, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/प्रयागराज मंडल सहित मुख्यालय, मंडल एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, सूबेदारगंज के अन्य अधिकारी तथा बड़ी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी व जवान उपस्थित रहे। कार्यक्रमके दौरान शहीदोंके प्रति सम्मान स्वरूप मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को नमन किया गया।

'कोच-टू-कोच' चलित डस्टबिन प्रणाली एवं कचरा पृथक्करणकी पहल

उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विशेष अभियान ६.० के अंतर्गत प्रयागराज जंक्शन पर स्वच्छता को स्थायी रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दो अभिनव एवं उत्कृष्ट पहलें सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के आगमन के दौरान अक्सर यह देखा जाता था कि स्लीपर एवं जनरल कोचों की खिड़कियों से यात्री कचरा सीधे प्लेटफॉर्म पर फेंक देते हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए स्टेशन पर पहिये वाली चलित डस्टबिन के साथ स्वच्छता मित्रों की कोच-टू-कोच तैनाती की गई है। इसके अंतर्गत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही स्वच्छता मित्र प्रत्येक कोच के पास जाकर यात्रियों से सीधे कचरा एकत्र करते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म पर कचरा गिरने से रुकता है। इस पहल से प्लेटफॉर्म की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार आया है और रेल यात्रियों द्वारा भी इस व्यवस्था की अत्यधिक सराहना की जा रही है।

ज्ञान मण्डल प्राइवेट लिमिटेडके लिए जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा ज्ञानमण्डल यंत्रालय, ३ लीडर रोड, प्रयागराजसे मुद्रित तथा लीडर बिल्डिंग, ३ लीडर रोड, प्रयागराज से प्रकाशित।

सम्पादक : शार्दूल विक्रम गुप्त

स्थानीय सम्पादक-जितेन्द्र सिंह

वाराणसी	: सन्त कबीर मार्ग
गोरखपुर	: बैंक रोड
कानपुर	: बांसमण्डी
लखनऊ	: १, जापलिंग रोड
आगरा	: महात्मा गांधी रोड
बरेली	: रोड नं. ३, परसाखेड़ा
पटना	: फ्रेजर रोड
रांची	: नामकुम इंडस्ट्रियल एरिया
जमशेदपुर	: कालीमाटी रोड
धनबाद	: कतरास रोड

वर्ष-३१ पू.सं. (११३५७)
रजिस्ट्रेशन संख्या-५९७४१/९५

दूरभाषः २६१५०८०,२६१६१५४

E-mail:ajalld@yahoo.com
ajalld@rediffmail.com
ajdaily86@gmail.com

पी.आर.बी. अधिनियमके अन्तर्गत समाचारके चयनके लिए जितेन्द्र सिंह जिम्मेदार होंगे तथा समस्त विवाद जनपद न्यायालय, प्रयागराजके अधीन होगा।